

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)



आदेश पत्रक

34

लोचन मुण्डा वगैरे

वनाम

लिलमोहन मुण्डा वगैरे

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्यवाही
	<p>अभिलेख सं०-एम...25...../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी बुण्डू..... के अप्राथमिकी सं०-05/18 दिनांक-24-2-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि कमिटी का सामान को लेकर मारपीट करने को लेकर उभय पक्ष में विवाद है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 06-04-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	

06/04/18

श्रीगोविन्द पदाधिकारी नगर नैचपत्र बुण्डूक बलि है
उपस्थित। दिनांक 27-04-18 को रखे।

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
------	---------------------------------

०१, ०३, ०५ उपरिष्ठित / प्रथम पल अधिवक्ता
 द्वाप गवाही हेतु आगली रेलिफ की मांग
 की गठी / प्रथम पल गवाही हेतु लिंक
 ११-०१-१७ को रूखे ।

[Handwritten Signature]
 ११/१/१७

११-०१-१७

अभि लेखन आस्थापित / प्रथम पल
 आस्थापित दिवस पल क्रमांक ०१
 उपरिष्ठित अन्य अधिवक्ता शजरी /
 इक्ल वाद में ६ (छः) माह की अवधि
 पूर्ण है इसी हेतु अन्तः वाद अर्थात् वाद
 कालबाधित हो गया है अन्तः वाद में
 अभिलेख की कालवधि बन्द की जाती

[Handwritten Mark]

[Handwritten Signature]
 ११/१/१७